राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांकः प.8 (ड)(का.भा.)/डीएलबी/25/8669 दिनांकः 21/8/25

आदेश

विभागीय आदेश दिनांक क्रमांकः प.2 (क)( )/जाँच/डी.एल.बी./24/6031 दिनांक 20/08/25 द्वारा श्री आसीफ खान को सभापति, नगर परिषद, कुचामन–सिटी के पद से निलंबित किया गया है, एवं विभागीय आदेश क्रमांकः प.2 (क)( )/जाँच/डी.एल.बी./25/6016 दिनांक 19.08.2025 द्वारा श्री हेमराज चावला, वार्ड नं. 28 को उपसभापति नगर परिषद कुचामनसिटी के पद से निलंबित किया गया है, वर्तमान में सभापति का पद रिक्त है।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50(1)(iv)(क) के में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सुरेश पार्षद वार्ड नं0 32 को नगर परिषद कुचामन–सिटी के सभापति के पद का कार्यभार 60 दिवस से अनाधिक कालावधि अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश, जो भी पूर्व हो तक के लिए दिया जाता है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(जुईकर प्रतीक, चन्द्रशेखर)
निदेशक

क्रमांकः प.8 (ड)(का.भा.)/डीएलबी/25/8670–82 दिनांकः 21/8/25

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. सम्भागीय आयुक्त, अजमेर/जिला कलक्टर डीडवाना।
5. निदेशक/अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राज0 राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6(क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
6. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग सचिवालय राज0 जयपुर।
7. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर।
8. उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी।
9. आयुक्त अधिकारी, नगर परिषद कुचामन–सिटी।
10. श्री सुरेश पार्षद वार्ड नं0 32 नगर परिषद कुचामन–सिटी
11. प्रोग्रामर (आई.टी. सैल), निदेशालय।
12. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक

Signature valid

Digitally signed by [illegible]
Chandrashekhar [illegible]
Designation : [illegible]
Date: 2025.08.[illegible] [illegible]7:07:28 IST
Reason: Approved